RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-09
September-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i09.018

प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण

डा0 संजय कुमार

स्नातकोत्तर विभाग लोक प्रशासन वीर कुवर सिंह विश्वविद्यालय – आरा (बिहार)

प्रशासन पर न्यायालयों के नियंत्रण को न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रशासनिक कार्यो को कानून की सीमाओं में रखने का अधिकार न्यायालय को है। इसका अर्थ यह भी है, कि प्रशासकों के गलत कार्यो को, कोई भी पीड़ित नागरिक न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार संविधनतः रखता है।

प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यो की वैधानिकता को सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है।

एल0 डी0 व्हाइट के शब्दों में ''विधायी देखरेख का उद्देश्य सिद्वांतः कार्यकारी शाखा की नीति और खर्च को नियंत्रण करना है। प्रशासनिक कार्यो पर न्यायिक नियंत्रण इन कार्यो की वैद्यानिकता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार नागरिकों के संवैधानिक तथा अन्य अधिकारों के गैर कानूनी अतिक्रमण के विरूद्व उनकी रक्षा करती है।''

एम0 पी0 शर्मा (भारत में लोक प्रशासक के प्रथम अध्यापक) ने सही कहा था ''न्यायालयों का काम नागरिकों की स्वतंत्रताओं और उनकी अधिकारों की रक्षा करना है, अतः उनके दृष्टिकोण से न्यायालयों द्वारा लागू नियंत्रण न्यायिक उपचार कहलाता है। वास्तविक में यह है कि न्यायालयों के समक्ष सरकारी जबाबदेही और सरकारी ज्यादातियों या सता के दुरूपयोग के विरूद्व नागरिकों के लिए न्यायिक उपचार ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

आधारः– (Basic)

प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कानून का शासन की अवधारणा से निकलता है जो ब्रिटिश और भारतीय दोनों संविधानों की आधारभूत विशेषता है। ब्रिटिश संवैधनिक वकील ए0 वी0 डायसी अपना सुविख्यात पुस्तक इंट्रोडक्शन टु द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्सटीटूयूशन में इस अवधारणा की शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ''कोई भी व्यक्ति दंडनीय नहीं है या किसी से भी कानूनी तौर पर जानमाल का नुकसान उठवाया नहीं जा सकता है, सिवा इसके कि उसने देश के आम न्यायालय के सम्मुख आम कानूनी ढ़ंग से स्थापित कानून को साफ–साफ तोड़ा हो, कोई भी व्यक्ति कानून से उपर नहीं है चाहे वो देश का प्रधानमंत्री या एक सिपाही ही क्यों न हो। कानुन सर्वोपरी है। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है।

क्षेत्र विस्तार :– प्रशासनिक कार्यो में न्यायपालिका निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है।

1. अधिकार क्षेत्र का अभाव
2. कानून की त्रुटी
3. तथ्यों का पता लगाने में गलती।
4. प्राधिकार का दुरूपयोग।
5. प्रक्रिया की त्रुटी।

पद्वतियॉ (Methods)

प्रशासन पर अपना नियंत्रण न्यायपालिका निम्न प्रकार से लागू करती है।

1. न्यायिक पुनरावलोकन :– यह न्यायालयों का अधिकार है कि वे प्रशासनिक कार्यो की वैधानिकता तथा संवैधानिकता पर पुनः विचार कर सकते है। ऐसी जॉच के बाद अगर वे पाते हैं कि ये कार्य संविधान का उल्लघंन करते हैं, तो न्यायालयों द्वारा उनको गैर कानूनी असंवैधानिक और असामान्य घोषित किया जा सकता है।
2. वैधानिक अपील :– संसदीय विधान (अर्थात कोई कानून या अधिनियम) में ही यह प्रावधान हो सकता है कि विशेष प्रकार के प्रशासनिक कृत्य से पीड़ित नागरिक को न्यायालयों में अपील करने का अधिकार होगा जो ऐसी स्थिति में वैधानिक अपील की जा सकती है।
3. सरकार के विरूद्व दावे :– राज्य की ऐसी स्थिति योग्यता निर्धारण भारतीय संविधान की धारा 300 करती है।
4. सरकारी अधिकारियों के विरूद्व दावें :– भारत में अपनी सरकारी कामों के लिए राष्ट्रपति तथा राज्यपाल वैधानिक उत्तरदायित्व से मुक्त है उनके कार्य काल के दौरान, उनके निजी कार्यो तक के मामले में उनको अपराधिक कार्यवाहियों से मुक्ति मिली हई है उनको न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही जेल में बंद, परन्तु उनके निजी कृत्यों के मामले में कार्यकाल के दौरान दो महिने का नोटिस देकर उनके विरूद्व दीवानी में मुकदमा दायर किया जा सकता है। इस प्रकार की मुक्ति मंत्रियों को प्राप्त नहीं है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

असाधारण उपचार :–

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
2. परमादेश (Mandamus)
3. निषेध (Prohibition)
4. उत्प्रेत्रण लेख (Certiorari)
5. अधिकार–पृच्छा (Quo-warranto)
6. निषेधाज्ञा (Injunction)

निष्कर्ष :–

प्रशासन पर न्यायिक नियत्रंण का साफ–साफ मतलब यही है कि न्यायिक नियंत्रण प्रशासकीय कार्यो की वैधनिकता निश्चित करता है। जब सरकारी अधिकारी नागरिकों के संवैधानिक या मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते है। तब न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। प्रशासनिक विषयों में न्यायपालिका कई तरीकों से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकारी द्वारा अपने अधिकार सीमा का उल्लघंन करने पर, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कानून की गलत व्याख्या करने पर, कानून द्वारा कार्यो को सम्पन्न करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने पर, दुर्भावनावश या बदले की भावना से शासकीय कर्मचारी को नुकसान पहुॅचने की दृष्टि से किया गया कार्य पर न्यायिक नियंत्रण कर प्रशासन को उनका सही कार्य करने की मार्गदर्शन ही प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कहलाती है। अमेरिका में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण ज्यादा है जबकि बिट्रेन में विधायी नियंत्रण अधिक है।

भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका न केवल नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है बल्कि कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रक्रियाओं को संविधान की कसौटी पर भी परखता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद – 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। न्यायपालिका के द्वारा न केवल कानूनों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है बल्कि प्रशासन द्वारा किये गये अवैधानिक कृत्यों पर भी अंकुश लगाया जाता है ताकि आम नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहें तथा राष्ट्र में विधि का शासन प्रवर्तित रह सके। यहॉ के आम – अवाम सुख–शांति और सम्मान से रह सके। कानून राजा से भी बड़ा होता है ये लोकतंत्रात्मक राज्य मे ही सम्भव होता है जहॉ संविधान और कानून का राज हो। इसे ही हम प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कहते है। हमें यह भी जान लेना चाहिये कि न्यायिक नियत्रंण के क्रम में न्यायालयों की अपनी – अपनी शक्तियों निर्धारित कर दी गई है जिससे वह अपने कार्यो कर निष्पादन अपनी शक्तियों के अनुरूप ही करती है। जब किसी याचक को निचली अदालत से न्याय नहीं मिलती या उसे अनदेखी लगता है तो याचक उससे उपरी अदालत में अपनी बॉत रख कर न्याय पा सकता है। उसे हर शिर्ष अदालत तक जाकर अपनी बात रखने की मौलिक अधिकार हैं, प्रशासन द्वारा कि गई ना इंसाफी के कारण याचक (आम नागरिक भी) विभिन्न प्रकार के न्यायालयों में जाकर अपनी अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। वास्तव में न्यायिक नियंत्रण ही प्रशासन के बंद ऑख कान, दिमाग खोलने का संसाधन है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारत का संविधान लागु हो जाने क परिणाम स्वरूप वर्तमान भारत में भी राज्य की तुलना में विधि की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में यह बार–बार कहा है कि विधि सम्मत शासन को सुस्थापित करने के लिए सांविधानिक विधि की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में आई0 एम0 सी0 बनाम बारोबाबू सिंह[13] के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारत में कोई भी विधि से उपर नहीं और शासन भी व्यक्तियों का न होकर विधि सम्मत होना अनिवार्य है, और विधि सम्मत शासन किसी को भी विधि से गुरूत्तर की अनुज्ञा नहीं देता है, और यही प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कहलाती है।

संदर्भ सूची

1. भारत में लोक प्रशासन पृष्ठ सं0 246 – 47
2. भारत में राज व्यवस्था पृष्ठ सं0 282
3. लोक प्रशासन पृष्ठ सं0 5–11–13
4. तुल्नात्मक लोक प्रशासन पृष्ठ सं0 167
5. भारतीय संविधान (डा0 डी0 डी0 बसु) पृष्ठ सं0 – 48

RRIJM 2015, All Rights Reserved